RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 वर्ष 05 अंक 351 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को नोटिस
गलत बयान पर माफी की मांग!

मुंबई: लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, नेताओं के कुछ बयान या वक्तव्य को आधार बनाकर उनकी आलोचना करने या लीगल नोटिस दिए जाने की परंपरा इस चुनावी मौसम में तेज हो गई है। गुढीपाडवा पर ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिए गए वक्तव्य पर सीएम को नोटिस दी गई है।

यह नोटिस पक्षकार सौरभ ठाकरे एवं तेजस बैस द्वारा अपने वकील एड.असीम सरोदे के माध्यम से दी गई। पक्षकारों का कहना है कि सीएम शिंदे ने गुढीपाडवा के कार्यक्रम में कहा कि यह पर्व राम द्वारा रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। जबकि सभी को पता है कि रावण पर राम की विजय को दशहरे के रूप में मनाते हैं। सीएम जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए गलत बयान देने के लिए सीएम शिंदे से माफी मांगने की मांग नोटिस भेज कर की गई है। नोटिस में कहा गया है कि अपने दशहरा सम्मेलन में भी सीएम ने मराठा योद्धा महादजी शिंदे और दत्ताजी शिंदे के इतिहास को लेकर गलत बयान दिया था।

हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़!
रो हाउस में पकड़ी गईं 8 अफ्रीकी लड़कियां, 2 गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई शहर के करीब नवी मुंबई में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ ठाणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अफ्रीकी मूल की 8 लड़कियों को बचाया गया। साथ ही पुलिस ने दो अफ्रीकी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई के खारघर इलाके में बुधवार रात करीब 9 बजे एक रो हाउस पर छापा मारा गया। इस दौरान दो विदेशी मूल की महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और आठ युवतियों को बचाया गया। मुक्त कराई गयी सभी आठ महिलाएं अफ्रीकी नागरिक हैं। सीनियर इंस्पेक्टर राजीव शेजवाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अफ्रीका की कुछ महिलाएं रो हाउस में सेक्स रैकेट चला रही हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जब रेड मारी तो मौके पर अफ्रीकी मूल की 8 लड़कियां मिलीं। छापेमारी में दो अफ्रीकी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उनकी एक महिला साथी मौके से भागने में कामयाब रही।

पुलिस ने आठ अफ्रीकी युवतियों को फिलहाल एक सुधार गृह में भेजा हैं। उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। गिरफ्तार की गईं दोनों महिलाओं और उनकी फरार साथी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 (व्यक्ति की तस्करी) और 120बी (आपराधिक साजिश) और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फरार महिला को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

सजावटी लाइटों से पेड़ों को होने वाले नुकसान को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस...

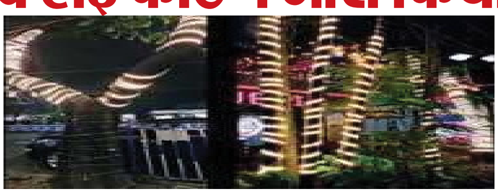

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने वृक्ष प्राधिकरण, बीएमसी, राज्य, ठाणे और मीरा भयंदर के नगर निकायों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्सवों के दौरान पेड़ों और रात के जीवों पर कृत्रिम रोशनी के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में चिंता जताई गई है। और अन्य अवसर. विभिन्न शोध अध्ययनों का हवाला देते हुए कार्यकर्ता रोहित जोशी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पत्तियों और शाखाओं के चारों ओर लपेटी गई ऐसी रोशनी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कमी का कारण बनती है।

याचिकाकर्ता की वकील रोनिता भट्टाचार्य ने कहा कि रात की रोशनी रात्रिचर पक्षियों पर भी प्रभाव डालती है और जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में कहा गया है, यह भारत में उभरते प्रकाश प्रदूषण का हिस्सा है। वृक्ष अधिनियम के तहत, किसी पेड़ को काटने में सिर्फ उसे काटना ही शामिल नहीं है, बल्कि उसे होने वाली किसी भी तरह की क्षति भी शामिल है और यह स्थानीय वृक्ष अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (सी) कहती है कि 'पेड़ को गिराना' में पेड़ को जलाना या काटना या किसी भी तरह से पेड़ को नुकसान पहुंचाना शामिल है।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की एचसी खंडपीठ ने कहा कि उठाई गई चिंताएं सार्वजनिक हित में हैं और राज्य को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील ने दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जुलाई 2019 के एक परिपत्र का हवाला दिया जिसमें साइनबोर्ड, विज्ञापनों (साइनेज), बिजली के तारों, हाई-टेंशन केबलों और अन्य हानिकारक तत्वों द्वारा पेड़ों के तनों और जड़ों को होने वाले नुकसान की जांच करने के उपाय करने का आ''न किया गया था। पेड़ों पर. उन्होंने कहा कि ऐसा सर्कुलर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के आधार पर जारी किया गया था। लेखक जिबन मुखोपाध्याय ने अपनी पुस्तक 'ए मैंगो ट्री इज माई फ्रेंड' में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और हंगरी के ईट्रू पुटोनन के नेतृत्व में सात वैज्ञानिकों द्वारा बर्च के पेड़ों पर किए गए शोध का हवाला देते हुए कहा है, ''न केवल बर्च के पेड़ रात में 10 सेमी तक गिर जाते हैं'', दिन के उजाले के कुछ घंटों के भीतर अपनी मूल स्थिति में लौटने के लिए मनुष्यों की तरह सर्केडियन लय का पालन करें। नागरिक निकायों की ''निष्क्रियता'' के खिलाफ आदेश की मांग करते हुए, जनहित याचिका में कहा गया है कि ''ऐसी अनियमित प्रथाएं'' पेड़ों के स्वास्थ्य और विकास के लिए हानिकारक हैं। निवासियों और कार्यकर्ताओं ने कंक्रीटिंग नालियों पर एनजीटी मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए गैलेरिया बाजार के पास 2.1 किमी सड़क के सुधार का विरोध किया।

नवी मुंबई के वाशी में सोशल वर्कर के साथ दुष्कर्म... व्यक्ति पर मामला दर्ज

ठाणे: नवी मुंबई पुलिस ने 35 वर्षीय एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कई बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 वर्षीय आरोपी नितिन गावंद रायगढ़ जिले के उरण के अन्ने गांव का रहने वाला है, जबकि पीड़िता नवी मुंबई के वाशी के कोपरी में रहती है। वाशी पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा, वर्ष 2018 में आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती की और उसके बेटे की देखभाल करने का आश्वासन दिया। उसने अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने पीड़िता पर गर्भपात कराने के लिए भी दबाव डाला। उन्होंने कहा, इसके अलावा उसने पीड़िता से 50,000 रुपये की हर्बल दवाएं खरीदीं, लेकिन बदले में केवल 31,500 रुपये का भुगतान किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।महाराष्ट्र में आये दिन दुष्कर्म करने की कई खबरें सामने आ रही है। ऐसे में राज्य की जनता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। गौरतलब हो कि कुछ दिन पहलेमुंबई के सांताक्रूज इलाके में एक शैक्षणिक संस्थान के परिसर में सात वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में स्कूल के एक सहायक को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सहायक पिछले कुछ महीनों से बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर रहा था। अपराध का पता पिछले हफ्ते तब चला जब बच्ची ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया।

राज ठाकरे के PM नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के विरोध में मनसे नेताओं ने छोड़ी पार्टी

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कई पदाधिकारियों ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में भाजपा नीत महायुति गठबंधन को समर्थन देने के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

मनसे छोड़ने वालों में शामिल पार्टी महासचिव कीर्ति कुमार शिंदे ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर अपने फैसले की जानकारी दी।बुधवार को सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मनसे प्रमुख ठाकरे ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ रुख अपनाया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज पांच साल बाद राज साहेब ने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपनी राजनीतिक भूमिका बदल ली है।

राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे कि वह कितने गलत हैं और कितने सही। उन्होंने पोस्ट में कहा, ;इनदिनों नेता जब चाहें, जो चाहें राजनीतिक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन लड़ाके (पार्टी कार्यकर्ताओं का संदर्भ) जो उनके विचारों पर भरोसा करते हैं, कुचल दिये जाते हैं।

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शुक्रवार 12 अप्रैल 2024

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

मुख्यमंत्री केजरीवाल की भूमिका...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को 'वैध' और 'न्यायसंगत' करार दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को अदालत ने तब करारा झटका दिया, जब उसने शराब नीति और कथित घोटाले में दोनों की संलिप्तता भी मानी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साक्ष्यों और दस्तावेजों के सौजन्य से कहा कि केजरीवाल साजिश में शामिल थे। उन्होंने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर घूस भी मांगी थी। रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया। उसकी मनी ट्रेल भी स्पष्ट है। कानून की दृष्टि से मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव के समय पर न की जाती। ईडी ने जो सामग्री, तथ्य, ई-मेल और व्हाट्स एप चैट के ब्योरे अदालत के सामने रखे हैं, वे सही और पर्याप्त हैं। जांच एजेंसी ने सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की है। केजरीवाल गवाहों से 'क्रॉस' कर सकते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने गंभीरता से यह टिप्पणी की है कि सरकारी गवाहों पर उंगली उठाना अदालत और न्यायाधीश पर आक्षेप लगाना है। अदालत का सरोकार संवैधानिक नैतिकता के प्रति है। अदालत पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होता और न ही उसे चुनाव के समय, चुनावी टिकट और चुनावी बॉन्ड से कोई लेना-देना है। सरकारी गवाहों के बयान पीएमएलए और धारा 164 में न्यायाधीश के सामने लिए गए हैं। सरकारी गवाह का प्रावधान सैकड़ों साल पुराना है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इन प्रावधानों का उपयोग केजरीवाल को फंसाने के लिए किया गया।

यह मामला ईडी और केजरीवाल के बीच का है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, गलत करार दिया था, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इन टिप्पणियों के साथ केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया। केजरीवाल और 'आप' के सामने अब भी सर्वोच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देने का संवैधानिक विकल्प शेष है, लेकिन उच्च न्यायालय के स्तर पर यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि शराब नीति बनाने और उसकी आड़ में घूस मांगने के कथित अपराध में केजरीवाल भी संलिप्त थे। बेशक 'आप' के नेता और प्रवक्ता दलीलें देते रहें कि चवन्नी भी बरामद नहीं हुई है। केजरीवाल को फंसाना और जेल तक पहुंचाना अभी तक की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। भाजपा 'आप' को कुचल देना चाहती है, दिल्ली की सरकार गिराने के उसके मंसूबे हैं। 'आप' राजनीतिक स्तर पर कितने भी अभियान चलाए, लेकिन अदालत के सामने ठोस साक्ष्य हैं। उन्हें अदालत ने बुनियादी तौर पर स्वीकार भी किया है। हवाला ऑपरेटर्स के बयान भी मौजूद हैं। जिन्होंने घूस की राशि दी है, उनके बयान, ई-मेल, व्हाट्स एप चैट, बैठकों और मुलाकातों आदि के ब्योरे भी उपलब्ध हैं। केजरीवाल और 'आप' किस-किस को झुठलाने की कोशिश करेंगे। दरअसल केजरीवाल एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनकी कानूनी टीम और अन्य सलाहकारों ने गलत सलाह दी। केजरीवाल को ईडी के 9 समन्स को खारिज नहीं करना चाहिए था। अब जो कानूनी निष्कर्ष सामने हैं, वे उच्च न्यायालय के हैं।

किसी के खोखले आरोप नहीं हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि यदि

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK
LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE
SHARE
COMMENT
SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

शेयर बाजार और रम्मी में पैसा गंवाने पर युवक ने कर्ज चुकाने के लिए कॉलेज गर्लफ्रेंड को खत्म कर दिया

मुंबई: 22 साल के इंजीनियरिंग छात्र की हत्या ने पुणे को झकझोर कर रख दिया. भाग्यश्री सुडे की हत्या पैसे के लिए की गई थी। उनकी हत्या एक सोची समझी साजिश थी. हत्या से पहले आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया था. फिर उसे मारने की योजना बनाई गई. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा भी खोदा गया था। एजेंसी के मुताबिक, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि छात्र की हत्या के पीछे तीन आरोपी थे. चूंकि थिगैलर भी भारी कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसका अपहरण करने और उसके माता-पिता से पैसे वसूलने की योजना बनाई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और गहन पूछताछ की जा रही है.

मुख्य आरोपी छात्रा का कॉलेज फ्रेंड था

इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी का नाम शिवम फुलावले है, वह भाग्यश्री के कॉलेज में पढ़ता है और उसका दोस्त था. लेकिन शिवम ने शेयर बाजार में काफी पैसा गंवा दिया था. जबकि हत्या के अन्य दो आरोपी ऑनलाइन जुए में पैसे हार गए थे. शिवम ने सुरेश इंदुरे और सागर जाधव के साथ मिलकर 30 मार्च को पुणे के विमाननगर से येथिन भाग्यश्री का अपहरण कर लिया। लेकिन अपहरण के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों ने उसकी नाक और मुंह पर टेप लगा दिया था। लेकिन जब भाग्यश्री ने उनका विरोध किया तो एक आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि मृतक छात्रा भाग्यश्री और मुख्य आरोपी शिवम फुलावले दोनों मध्य महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे. शिवम को शेयर बाजार में काफी नुकसान हुआ था. एक अन्य आरोपी को ऑनलाइन रमी खेलने की लत थी, जिसमें उसने काफी पैसे गंवा दिए. दोनों कर्ज में डूबे हुए थे. भाग्यश्री के पिता एक सहकारी समिति के निदेशक हैं। आरोपी को लगता था कि उसका परिवार अमीर है. इसलिए आरोपियों ने फिरौती के लिए उसके अपहरण की योजना बनाई। लेकिन अपहरण के बाद आरोपियों ने भाग्यश्री की हत्या करने का फैसला कर लिया था. आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए अहमदनगर सीमा के कमरगांव के पास पहले से ही गड्ढा खोद रखा था. आरोपी पहले फिरौती की रकम हासिल करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही भाग्यश्री की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी उसके शव को कमरगांव ले गया और उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। उन्होंने आंशिक रूप से जले हुए शव को पहले से खोदे गए गड्ढे में दफना दिया।

ऐसे हुई गिरफ्तारी

इसके बाद तीनों आरोपियों ने छात्रा के मोबाइल फोन से उसके माता-पिता को फोन किया और रुपये की मांग की. जैसे ही आरोपियों ने भाग्यश्री का डेबिट कार्ड और खाते का विवरण लिया, उन्होंने उसके पिता से उसके खाते में पैसे जमा करने के लिए कहा। फिर 2 अप्रैल को भाग्यश्री के परिवार ने पुलिस में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. उनके फोन पर रंगदारी का कॉल आने के बाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. आरोपी लातूर के एक लॉज में रह रहा था. इसके बाद वह रायगढ़ के खोपोली चले गये, वहां से मुंबई आये। एक आरोपी वापस पुणे आ गया. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने भाग्यश्री के माता-पिता से उसके बैंक खाते में कुछ पैसे जमा करने को कहा। क्योंकि उसके बाद आरोपी पैसे निकालने के लिए एटीएम पर जरूर जाते थे.

MVA को लग सकता है करारा झटका... इस पूर्व सीएम का पोता छोड़ सकता है साथ!

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी MVA की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर आ रही है कि सांगली के कद्दावर कांग्रेस नेता विशाल पाटिल अपनी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं और एमवीए के सामने चुनाव में सांगली से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, सांगली के कांग्रेस नेता विशाल पाटिल ने की बहुजन वंचित आघाडी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की है। इन दिनों कांग्रेस नेता विशाल पाटिल की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। उनके नाराजगी की वजह बनी है सांगली सीट यूबीटी के हिस्से में जाना।

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस के नाराज नेता विशाल पाटिल बहुजन वंचित आघाडी यानी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी से लड़ सकते हैं। इसके लिए विशाल पाटिल ने प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की है। प्रकाश आंबेडकर ने इसे लेकर हामी भी भर दी है और सब विशाल पाटिल पर के फैसले पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, सब विशाल पाटिल पर निर्भर है। जानकारी के लिए बता दें कि विशाल पाटिल पूर्व मुख्यमंत्री वसंत पाटिल के पोते हैं, जो सांगली जैसे जिले में कांग्रेस की कमान कई सालों से थामे हुए हैं।

यूबीटी के हिस्से आई है सांगली सीट

सांगली की सीट को लेकर ठाकरे, पवार और कांग्रेस में अभी भी तनातनी चल रही है। वहीं, सीट बंटवारे के दौरान ये सीट यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के हिस्से में आई है। उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को सांगली सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी बात को लेकर विशाल पाटिल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। वहीं, चंद्रहार पाटिल के सामने बीजेपी ने संजय काका पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि वर्षा गायकवाड भी टश्अ में नाराज हैं। बता दें कि वर्षा गायकवाड मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वर्षा गायकवाड मुंबई की सीट को लेकर नाराज है।

विल्सन कॉलेज जिमखाना प्लॉट पर कब्जा करने का दावा

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसने मरीन ड्राइव स्थित विल्सन कॉलेज जिमखाना प्लॉट पर वास्तविक कब्जा कर लिया है. हालाँकि, विल्सन का प्रबंधन करने वाले यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियन ट्रस्ट एसोसिएशन (यूसीएनआईटीए) ने इस दावे का खंडन किया था। उच्च न्यायालय यूसीएनआईटीए की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कॉलेज जिमखाना की लीज को जारी रखने की मांग की गई है, जो समाप्त हो चुकी है। यह 110 साल से अधिक पुराने जिमखाना को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायमूर्ति अमित बोरकर को बताया कि राज्य ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ''विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार, संपत्ति का वास्तविक कब्जा ले लिया गया है। यह तथ्य याचिकाकर्ता द्वारा विवादित है, ''न्यायमूर्ति बोरकर ने आदेश में कहा।

पुणे में पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर किन्नरों के भीख मांगने पर लगाया प्रतिबंध

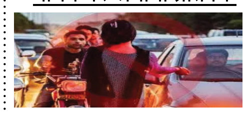

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। यहां ट्रैफिक सिग्नलों पर किन्नरों के भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। फ्री प्रेस जनरल के मुताबिक, पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि धारा 144 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ट्रैफिक सिग्नलों पर इकट्ठा होने और मोटर चालकों और यात्रियों से जबरन पैसे मांगने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि यह भी देखा गया है कि ट्रांसजेंडर और अन्य लोग उत्सव, जन्म और मृत्यु के दौरान घरों और प्रतिष्ठानों में जाते हैं और लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी जाने वाली पेशकश से अधिक पैसे की जबरदस्ती मांग करते हैं। उन्होंने बताया कि आदेश के तहत उन पर भी रोक लगाई गई है। अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि यह आदेश 12 अप्रैल से लेकर 11 मई तक प्रभावी रहेगा, लेकिन प्राधिकारी द्वारा वापस लेने की स्थिति तक बना रहेगा।

लोकसभा चुनाव के चलते भरारी टीम ने की छापेमारी, लाखों की रकम बरामद!

मुंबई: लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता के दौरान 50 हजार से अधिक नकदी नहीं ले जा सकेंगे। अधिक पैसे लेकर चलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. अब पुणे और नागपुर में भरारी टीम ने लाखों की नकदी जब्त की है. पुणे जिले में 65 लाख रुपये नकद जब्त किये गये हैं. भोसरी एमआईडीसी पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार की जांच की. उस वक्त इसमें 13 लाख 90 हजार 500 रुपये के नोट मिले थे. दूसरी घटना में शिरूर पुलिस ने शहर के कामन ब्रिज के पास यह कार्रवाई की. यहां एक निजी वाहन से 51 लाख 16 हजार रुपये बरामद किये गये. कुल 65 लाख की रकम जब्त कर राजकोष में रखी गयी है. आयकर विभाग से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुणे की तरह टीम ने नागपुर में भी नकदी जब्त की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसएसटी और नागपुर ग्रामीण पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. टीम ने कुल 10 लाख 35 हजार रुपये नकद जब्त किये. यह रकम नागपुर चंद्रपुर हाइवे पर एक स्कॉर्पियो कार से बरामद की गई. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए और किसलिए किया जाने वाला था। पूरी रकम राजकोष में जमा करा दी गई है.

अपने दो बच्चों को मौत के घाट उतारने के आरोप में महिला गिरफ्तार

रायगढ़: जिले में 25 वर्षीय एक महिला को कथित तौर पर अपने दो बच्चों को मौत के घाट उतारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने प्रेमी संग शादी करने की योजना बना रही थी और बच्चे इसमें बाधा बन रहे थे। बकौल रिपोर्ट रायगढ़ जिला अदालत ने महिला को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

स्थानीय अपराध शाखा ने पिछले माह 5 साल की मासूम लड़की और 3 साल के लड़के की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत मामले की जांच कर रही थी। रायगढ़ पुलिस की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति के मुताबिक, 31 मार्च को किहिम गांव में बच्चे बेहोश पाए गए थे। जिसके बाद उन्हें अलीबाग सिविस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

दोनों बच्चों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया। जांच में आरोपी बच्चों की मां शीतल पोले की कथित भूमिका सामने आई। बकौल पुलिस, यवतमाल जिले के पुसद की रहने वाली शीतल पोले का एक ऐसे व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था जिसे वह अपनी शादी से पहले से जानती थी।

'पति के साथ होता था झगड़ा'

पुलिस ने बताया कि शीतल पोले का अफेयर की वजह से अपने पति से अक्सर झगड़ा होता था। प्रथम दृष्टा शीतल पोले ने स्टॉल का इस्तेमाल कर अपने बच्चों का गला घोंट दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर्ज किया गया। बकौल रिपोर्ट, शीतल पोले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद रायगढ़ जिला अदालत ने उसे सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

मेंटल एडीशन का बनाया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड'... छात्र ने रचा इतिहास

नासिक : महाराष्ट्र में नासिक के दिल्ली पब्लिक स्कूल के आठवीं क्लास के छात्र आर्यन शुक्ला ने 'मानसिक रूप से पांच अंकों की 50 संख्याओं को जोड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आर्यन शुक्ला ने इस साल फरवरी में इटली के मिलान में इटालियन टीवी शो, 'लो शो देई रिकॉर्ड' में ये मुकाम हासिल किया।

आर्यन छह साल की उम्र से मेंटल कैलकुलेशन तकनीकों की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पिता का कहना है कि आर्यन की उपलब्धियों ने परिवार का मान बढ़ाया है। आठवीं क्लास के छात्र आर्यन ने 2022 में जर्मनी में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप भी जीता था। उन्होंने सिर्फ 20 सेकेंड में दो 105 अंकों की संख्याओं को गुणा करके जीत हासिल की थी।

अभिनेता अक्षय कुमार के नाम पर ठगी की कोशिश... खिलाड़ी कुमार के नाम का इस्तेमाल कर युवती को ठगा

मुंबई: आजकल धोखाधड़ी के मामले काफी बढ़ गए हैं। कई नागरिकों को मोबाइल फोन और ऑनलाइन से लिंक या मैसेज भेजकर आर्थिक रूप से धोखा दिया जाता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मुंबई में सामने आया है, जिसमें एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर के नाम का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की कोशिश की गई.

आजकल धोखाधड़ी के प्रकार बहुत बढ़ गए हैं। कई नागरिकों को मोबाइल फोन और ऑनलाइन से लिंक या मैसेज भेजकर आर्थिक रूप से धोखा दिया जाता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मुंबई में सामने आया है, जिसमें एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर के नाम का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की कोशिश की गई. हाँ, यह सच है। अभिनेता अक्षय कुमार के नाम पर एक युवती को ठगने की कोशिश की गई। उन्हें एक आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश भी की गई थी। लेकिन किस्मत से जब युवती ने समझदारी दिखाई और अक्षय कुमार के मैनेजर से संपर्क किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है। आखिरकार, उसने भामता की बिंग तोड़ दी और जुहू पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की का नाम पूजा आनंदानी है और वह खार की रहने वाली है। 3 अप्रैल को पूजा के पास एक शख्स का फोन आया। उसने पूजा को बताया कि उसका नाम रोहन मेहरा है, जो अक्षय कुमार की कंपनी केप ऑफ गुड होप फिल्म्स से बोल रहा है। उस शख्स ने पूजा हिल से कहा कि निर्भया केस पर आधारित एक फिल्म आ रही है और आपको एक अहम रोल के लिए चुना गया है. उसने पूजा को विलेपार्ले के इस्कॉन मंदिर के पास मिलने के लिए भी बुलाया। वास्तविक यात्रा के दौरान, आरोपी अपने साथ एक लिखित स्क्रिप्ट लाया था। उन्होंने यह भी बताया कि नीचे अभिनेता अक्षय कुमार के हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने पूजा को बताया कि इस आने वाली फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार समेत कई मशहूर कलाकार भूमिका निभा रहे हैं। पूजा को स्क्रिप्ट में किसी अन्य महिला किरदार को चुनने का विकल्प दिया गया था।

नरेंद्र मोदी विरोध नहीं... देश में पुतिन मॉडल लाना चाहते हैं- संजय राउत

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद की गरिमा गिरा दी है. मोदी बिना विपक्ष के लोकसभा और विधानसभा चुनाव चाहते हैं. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह के नेता और सांसद संजय राउत ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह देश में पुतिन मॉडल लाना चाहते हैं।

राउत ने यह भी कहा कि मोदी देश में विपक्ष नहीं चाहते, वह विपक्ष रहित चुनाव भी चाहते हैं. रूस में कोई संविधान नहीं है, नाम मात्र का विरोध है. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के बाद पुतिन मॉडल को इस देश में लाना चाहते हैं. लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. संजय राउत ने यह भी विश्वास जताया कि इस चुनाव में बीजेपी की हार होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है वह देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। हमारी राय है कि प्रधानमंत्री को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए. राजनीति में लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद की सीमाएं, गरिमा देखनी चाहिए।

इफ्तार पार्टी में बुलाकर मुनव्वर फारूकी पर फेंके गए अंडे? वीडियो वायरल हो गया

मुंबई: 'बिग बॉस 17' विनर और मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इस वक्त अपने एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। मुंबई से मोहम्मद अली रोज यहां इफ्तार पार्टी के लिए गए थे. लेकिन एक रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों ने उन पर अंडे फेंके. बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी पर मंगलवार रात अंडे फेंके गए। इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुनव्वर को मुंबई के मशहूर मोहम्मद अली रोड पर स्थित 'नूरानी स्वीट शॉप' के मालिक ने इफ्तार पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। जब मुनव्वर वहां पहुंचा तो वह उसी इलाके के एक अन्य रेस्तरां में भी गया. इससे नाराज

होकर 'नूरानी स्वीट शॉप' के मालिक और उनके पांच कर्मचारियों ने मुनव्वर पर अंडे फेंकना शुरू कर दिया. इस घटना से मुनव्वर काफी गुस्से में थे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुनव्वर को रिश्तेदार मालिक पर भड़कते हुए देखा जा सकता है. मालिक द्वारा मुनव्वर पर अंडे फेंकने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मुनव्वर को सुरक्षाकर्मियों ने वहीं रोका और भीड़ पर काबू पाया. मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद पिधुनी पुलिस ने संबंधित दुकान के मालिक और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर नेटिजन्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

मासूम पति ने क्यों दिया धोखा? ट्रोलर के सवाल पर सामंथा का जवाब

इससे पहले भी मुनव्वर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह इफ्तार पार्टी के लिए निकले थे तो फैन्स ने उन्हें घेर लिया था. इस वीडियो में बॉडीगार्ड मुनव्वर को फैंस की भीड़ से बचाते नजर आ रहे थे. इस मौके पर कई लोगों ने मुनव्वर के साथ सेल्फी ली और उन पर प्यार बरसाया. मुनव्वर ने सोशल मीडिया के जरिए फैन्स का शुक्रिया अदा किया।

ऋण संस्था में गबन, ऋण न चुकाने पर पांच लोगों, 12 निदेशकों व लेनदारों को आजीवन कारावास

मुंबई: कुछ साल पहले राज्य में सहकारी ऋण समितियों की संख्या टूट गई थी. कई स्थानों पर साख संस्थाएँ स्थापित की गईं और आम लोगों से लाखों रुपये की जमा राशि एकत्र की गई। इस जमा का उपयोग निदेशकों द्वारा ऋण वितरित करने के लिए किया गया था। लेकिन बिना किसी गारंटी के स्वयं ऋण लेने, जाली दस्तावेजों के आधार पर और रिश्तेदारों को ऋण देने के मामले भी सामने आए हैं। इससे राज्य की कई क्रेडिट संस्थाएं संकट में पड़ गयीं. अब कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे इन निदेशकों को झटका लगेगा. अहमदनगर जिला अदालत ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कर्ज नहीं चुकाने वाले 12

निदेशकों और कर्जदारों को 3 से 10 साल की सजा सुनाई गई है. यह जिले का पहला फैसला है जिसमें क्रेडिट यूनियन घोटाले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

किसे सजा दी गई?

सम्पदा सिविल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी अहमदनगर शहर में थी। इस क्रेडिट संस्थान में हुए घोटाले के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपियों के नाम ज्ञानदेव वफारे, उनकी पत्नी सुजाता वफारे, साहेबराव भालेकर, संजय बोरा, रवींद्र शिंदे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन. आर। नाइकवाडी ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. संपदा अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के 19 हजार से ज्यादा जमाकर्ताओं की जमा राशि फंस गई है।

लेनदारों को छूट दी गई

डिफॉल्टर्स के खिलाफ जिला कोर्ट ने की कार्रवाई. 12 निदेशकों और देनदारों को 3 से 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी ने संपदा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में 13 करोड़ 38 लाख का गबन किया. इस गबन मामले में 2011 में कोतवाली पुलिस में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में 17 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था.

ठाणे में एक दंपति ने अपनी 18 महीने की बच्ची की कर दी हत्या... पुलिस ने किया गिरफ्तार

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक दंपति द्वारा अपनी 18 महीने की बच्ची की कथित तौर पर हत्या किए जाने और शव को चुपचाप एक कब्रिस्तान में दफनाने की घटना के तीन सप्ताह से अधिक समय बाद पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाला और पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को किसी अनजान व्यक्ति ने पत्र भेज कर घटना की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि शहर के मुंब्रा में रहने वाले जाहिद शेख (38) और उसकी पत्नी (28) नूरामी को 18 मार्च को की गई हत्या के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया गया।

मुंबई पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल शिंदे ने बताया, ''पुलिस को हाल में एक गुमनाम पत्र मिला था जिसमें बताया गया था कि दंपति ने अपनी बच्ची लबीबा की हत्या कर शव को चुपचाप कब्रिस्तान में दफना दिया है। पुलिस ने जांच शुरू की और दंपति को हिरासत में ले लिया। शुरूआत में आरोपियों ने सहयोग नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने जुर्म की पूरी दास्तां सुनाई। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने बच्ची की हत्या क्यों की।''उन्होंने बताया,''दंपति ने बताया कि उन्होंने 18 मार्च को अपनी बच्ची की हत्या की और शव को एक स्थानीय कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकाला।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्ची के सिर और शरीर के अन्य हिस्से में चोट के निशान होने की बात सामने आई है।''दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक (अपराध) एस ए दावने ने बताया कि दंपति को बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्हें 15 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

महाराष्ट्र में सांगली सीट को लेकर एमवीए में खींचतान...

कांग्रेस के इस नेता ने की प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी (एमवीए) में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद अभी तक खत्म नहीं हुआ है. सांगली के कांग्रेस के नाराज नेता विशाल पाटिल ने बहुजन वंचित आघाडी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की है. बताया जा रहा है कि सांगली की सीट शिवसेना (यूबीटी) को दिए जाने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं. विशाल पाटिल पूर्व मुख्यमंत्री वसंत पाटिल के पोते हैं. विशाल पाटिल सांगली जिले में कांग्रेस की कमान कई सालों से संभाले हुए हैं. शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सांगली लोकसभा सीट से चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार बनाया है.

प्रकाश आंबेडकर की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं पाटिल

कांग्रेस के नाराज नेता विशाल पाटिल के बहुजन वंचित आघाडी यानी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है. सांगली की सीट यूबीटी के हिस्से में जाने के बाद से विशाल पाटिल और उनके कार्यकताओं के बीच नाराजगी है और इसी वजह से उन्होंने प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की है. प्रकाश आंबेडकर सांगली से विशाल पाटिल को चुनावी मैदान में उतरने का मौका दे सकते हैं.

सांगली सीट को लेकर एमवीए में खींचतान!

महाराष्ट्र में सांगली की सीट को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार गुट की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस में अभी भी मतभेद बरकरार होने के संकेत हैं. 'इंडिया' गठबंधन के तहत एमवीए में सीट शेयरिंग के बाद सांगली सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के हिस्से में आई है. शिवसेना (यूबीटी) ने यहां से चंद्रहार पाटिल को प्रत्याशी बनाया है. चंद्रहार पाटिल को मैदान में उतारने से विशाल पाटिल कांग्रेस नेतृत्व से नाराज दिख रहे हैं. उधर, शिवसेना (यूबीटी) के चंद्रहार पाटिल के खिलाफ बीजेपी ने संजय काका पाटिल को मैदान में उतारा है. दूसरी तरफ खबर आ रही है कि वर्षा गायकवाड भी महाविकास अघाड़ी (टश्अ) में नाराज हैं. वर्षा गायकवाड मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं. जानकारी के मुताबिक वर्षा गायकवाड मुंबई की सीट को लेकर नाराज बताई जा रही हैं.

पालतू जानवरों की देखभाल करने वाला व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में कुत्तों को मारते हुए पकड़ा गया

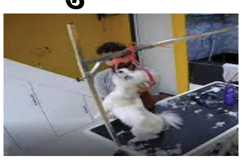

नवी मुंबईः कोपरखैरणे पुलिस ने एक 20 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो एक स्थानीय पालतू पशु देखभाल केंद्र में देखभाल का काम करता था, जब मालिक को पता चला कि वह कथित तौर पर वहां पालतू जानवरों पर हमला कर रहा था। केंद्र की मालिक लालिमा ठाकुर ने इस संदेह पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी कि कर्मचारी दिलीप कुमार साहू उर्फ ऋषि साहू ने वहां से पैसे चुराए थे - इस तरह उन्हें इस तथ्य का पता चला कि साहू पालतू जानवरों के साथ क्रूरता कर रहा था।.

जब मैंने दिल दहलाने वाली फुटेज देखी तो पैसे चोरी होने का मुद्दा महत्वहीन हो गया,''ठाकुर ने कहा। ''एक पालतू पशु प्रेमी और एक पालतू जानवर का मालिक होने के नाते, मेरे लिए इसे देखना असहनीय था। मेरे साथी और मैं दोनों को पालतू जानवरों से बेहद प्यार है और यही कारण है कि हम इस व्यवसाय में थे। मैं साहू को लगभग पांच वर्षों से जानता था, क्योंकि उसने अपने पिछले कार्यस्थल पर मेरे कुत्ते को पाला था और वह मेरे कुत्ते को घुमाने के लिए भी ले जाता था। चूँकि हमने उस पर भरोसा किया, इसलिए हमने यह व्यवसाय शुरू करने और उसे रोजगार देने का फैसला किया। जो फुटेज मिला वह 6 फरवरी 2024, सुबह 9.30 बजे से 18 मार्च, दोपहर 3.15 बजे तक का है। साहू को सात अलग-अलग कुत्तों पर लकड़ी की छड़ी, बेल्ट और लोहे की चेन से हमला करते हुए देखा जाता है और यहां तक कि कुत्तों को मुक्का मारते और उन्हें मेज पर फेंकते हुए भी देखा जाता है। फुटेज मिलने के बाद, ठाकुर ने पिछले सप्ताह साहू की सेवाओं को तुरंत एक पत्र के साथ समाप्त कर दिया, जिस पर उन्होंने अपने कार्यों को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर किए थे। ''जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पालतू जानवरों पर हमला क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत भौंकते थे और पेशाब करते थे,'' ठाकुर ने कहा, जिसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया और पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) से कानूनी सलाह ली। उसने कोपरखैरणे पुलिस से संपर्क किया और 8 अप्रैल को साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया।

हमारे नेताओं के लिए सीट बंटवारे पर सख्त रुख अपनाना जरूरी था - वर्षा गायकवाड़

मुंबईः महा विकास अघाड़ी के सीट बंटवारे से कांग्रेस नाखुश है. लेकिन खास बात यह है कि मुंबई कांग्रेस बनाम प्रदेश कांग्रेस के रूप में एक नया विवाद शुरू हो गया है. मुंबई में सीटों के आवंटन के दौरान मुंबई अध्यक्ष को नहीं बुलाए जाने से काफी नाराजगी है. मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इसकी शिकायत दिल्ली में की है तो नया विवाद शुरू हो गया है. वर्षा गायकवाड़ ने आज खेद व्यक्त किया कि मुंबई में सीटों के आवंटन में मुझे विश्वास में नहीं लिया गया. वह मुंबई में मीडिया से बात कर रही थीं. वर्षा गायकवाड़ ने कहा, मुंबई में पहले हम पांच सीटों पर लड़ते थे और एनसीपी एक सीट पर लड़ती थी. फिलहाल हम भी महाविकास अघाड़ी में बराबर के भागीदार हैं. सीट आवंटन के बाद मैं कुछ परेशान हूं. इस संबंध में मैंने पार्टी नेताओं और प्रदेश नेताओं को भी बताया है. हमें कम से कम दो से तीन सीटें मिलनी चाहिए. हमारा जो भी फैसला होगा, हम पार्टी नेताओं को बता देंगे. पार्टी कार्यकताओं को कुछ उम्मीदें हैं. कुछ फैसले लेने के बाद पार्टी को उन्हें मानना ही पड़ता है.

मुंबई में कुछ जगहें बेहतर कर सकती हैं: वर्षा गायकवाड़

मुंबई कांग्रेस बनाम प्रदेश कांग्रेस के रूप में एक नया विवाद शुरू हो गया है. इस बारे में बात करते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा, मुंबई और राज्य दो अलग-अलग भूमिकाएं हैं, मुंबई का अस्तित्व अलग है। चर्चा करते समय एक संगठन के रूप में हमें अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र प्रदेश को सशक्त भूमिका निभानी चाहिए थी. हमने पार्टी नेताओं को अपनी राय बता दी है. तो हमारे नेताओं को सोचना चाहिए. मुंबई के कुछ हिस्से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. दक्षिण मध्य मुंबई में एक भूमिका मिल सकती है. यह चुनाव महत्वपूर्ण है. हम पार्टी के सामने अपनी भूमिका रखेंगे.

हम तथ्यों से आलाकमान को अवगत कराएंगेः वर्षा गायकवाड़

उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र की सीट शिव सेना ठाकरे गुट को दिलाने के लिए शिव सेना ठाकरे गुट के पदाधिकारियों ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात की है. इस बारे में बात करते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा, घोसालकर के कुछ लोग मुझसे मिले. हमारी ताकत दक्षिण मध्य मुंबई में है. हम स्थल परिवर्तन का स्वागत करेंगे. हर कोई जानता है कि मैंने कितनी बैठकों में भाग लिया.' मुंबई सीट आवंटन को लेकर कुछ बेहतर किया जा सकता था. पार्टी ने जो निर्णय लिया है, वह हमें स्वीकार है. लेकिन हम ये बात आलाकमान को बताने जा रहे हैं.

महायुति को पहले सीट आवंटन का मुद्दा सुलझाना चाहिएः वर्षा गायकवाड़

महायुति ने महाविकास अघाड़ी के सीट आवंटन की आलोचना की है. इस बारे में बात करते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा, सीट आवंटन का मुद्दा अभी तक महायुति द्वारा हल नहीं किया गया है. उन्हें पहले इस

मुंबई को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए मनपा ने तैनात किए 1,555 कर्मचारी

मुंबई : मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार और मनपा लगातार प्रयास कर रहे हैं। मनपा प्रशासन ने दावा किया है कि मुंबई में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत पिछले एक महीने में 102 मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया है। इसी तरह 70 मीट्रिक टन कचरा और 25 मीट्रिक टन कबाड़ वस्तुओं को एकत्र किया गया है। वहीं शहर की 634 किलोमीटर लंबी सड़कों की सफाई की गई है। स्वच्छता अभियान में 1,555 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है।

बीएमसी के अनुसार स्वच्छता अभियान में 175 मशीनें शामिल हैं, जिसमें जेसीबी, डंपर, कॉम्पैक्टर, कचरा उठाने वाली मशीन, पानी के टैंकर, फायर एक्स मशीनें, मिस्टिंग मशीनें आदि शामिल हैं। सड़कों व फुटपाथों को धूल मुक्त करने के साथ ही लावारिस वाहनों का निपटान, बिना लाइसेंस वाले होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, खतरनाक तारों के जाल को हटाना आदि कार्य किए यू हैं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com